


27/05/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर।
बुद्धिवादीगण के सम्मन पेश करने में
पर्याप्त उत्तर दिए बावजूद पेश नहीं
किये, अतः वादी का वाद Non-Compliance
(अपामना) में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैंसल सुमार होकर दाखिल
दफ्तर है।


सहायक जज
(SPO) इंदौर

